न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-275RAAJodhpur2022-138RTA225 Devaram Vs Devilal etc
221RAAJodhpur2022-136RTA225 Birmaram Ors Vs Devilal etc

2020-

देवाराम पुत्र श्री धोकलराम, जाति सुथार, निवासी– ग्राम सियांदा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. देवीलाल पुत्र बालुराम
02. सत्यनारायण पुत्र बालुराम
03. पुखराज पुत्र बालुराम
04. शांति देवी पत्नी बालूराम

सभी जातियान् ब्राहमण, निवासीगण सियादा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

05. विरमाराम पुत्र दलाराम
06. लाछो देवी पत्नी दलाराम
07. मानाराम पुत्र खुशालाराम
08. कुम्भाराम पुत्र खुशालाराम
09. फत्ताराम पुत्र खुशालाराम
10. उदाराम पुत्र खुशालाराम
11. जीयाराम पुत्र खुशालाराम
12. लुम्बाराम पुत्र खुशालाराम
13. लौगाराम पुत्र खुशालाराम
14. इगाराम पुत्र खुशालाराम
15. देमाराम पुत्र खुशालाराम
16. डूंगरराम पुत्र रेवतराम
17. तुलछाराम पुत्र रेवतराम
18. विजाराम पुत्र रेवतराम
19. पुनाराम पुत्र रेवतराम
20. रणछोडाराम पुत्र रेवतराम,

सभी जातियान् सुथार, निवासीगण सियादा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर ।

21. सरपंच, ग्राम पंचायत सियादा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 24 मूई 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2020 देवीलाल व अन्य बनाम देवाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री भवानीसिंह भलासरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से चार
श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या पांच से बीस
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या बाईस

(2) 2020-221RAAJodhpur2022-136RTA225 Birmaram Ors Vs Devilal etc

01. विरमाराम पुत्र दलाराम
02. लाछो देवी पत्नी दलाराम
03. मानाराम पुत्र खुशालाराम
04. कुम्भाराम पुत्र खुशालाराम
05. फत्ताराम पुत्र खुशालाराम
06. उदाराम पुत्र खुशालाराम
07. जीयाराम पुत्र खुशालाराम
08. लुम्बाराम पुत्र खुशालाराम
09. लौगाराम पुत्र खुशालाराम
10. इगाराम पुत्र खुशालाराम
11. देमाराम पुत्र खुशालाराम
12. डूंगरराम पुत्र रेवतराम
13. तुलछाराम पुत्र रेवतराम
14. विजाराम पुत्र रेवतराम
15. पुनाराम पुत्र रेवतराम
16. रणछोडाराम पुत्र रेवतराम,

सभी जातियान् सुथार, निवासीगण सियादा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर ।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

01. देवीलाल पुत्र बालुराम
02. सत्यनारायण पुत्र बालुराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

03. पुखराज पुत्र बालुराम
04. शांति देवी पत्नी बालूराम

सभी जातियान् ब्राह्मण, निवासीगण सियादा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
05. सरपंच, ग्राम पंचायत सियादा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
06. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।
07. देवाराम पुत्र श्री धोकलराम, जाति सुथार, निवासी– ग्राम सियांदा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 24 मूई 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2020 देवीलाल व अन्य बनाम देवाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री भवानीसिंह भलासरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से चार
श्री, अशोक चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या सात
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या छः

नि र्ण य

दिनांक : 15 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट्स ने दोनो अपीले सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2020 देवीलाल व अन्य बनाम देवाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 मई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 01 जून 2022 एवं 31 मई 2022 को प्रस्तुत की है।

दोनो अपीले की विषय–वस्तु एवं पक्षकारान् समान होने तथा एक ही आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में एक–एक निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से चार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 41/3 रकबा 4.13 बीघा, खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नंबर 66 रकबा 0.6 बीघा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नंबर 65 रकबा 0.5 बीघा गैर मुमकिन टांका एवं खसरा नंबर 68 रकबा 11.15 बीघा ग्राम सियांदा तहसील शेरगढ में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण/अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 64 रकबा 22.17 बीघा, खसरा नंबर 62 रकबा 18 बीघा एवं खसरा नंबर 59 रकबा 25 बीघा की माठ के सहारे–सहारें 20 फुट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतग एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थीगण/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार शेरगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया गया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24 मई 2022 को प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक से चार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपीले प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स(दोनो अपील) ने अपनी में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोंडेंट सख्या 1 से 4 के आवागमन के लिए मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। उक्त रास्ता (मुड़िया सड़क) जो खसरा न. 41 से चिपता हुआ खसरा संख्या 73 व 74 के सहारे–सहारे चलता हैं। रेस्पोडेंट्स खसरा न. 41 में आने जाने के लिए खसरा न. 65, 66 होते हुए खसरा न 41 में प्रवेश करते हैं तथा खसरा न. 41 के चिपती ही आम सड़क स्थित हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि में से न तो पूर्व में कभी रास्ता था तथा न ही वर्तमान में को रास्ता उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही विधि विरूद्ध एवं मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया रेस्पोंडेंट्स सख्या 1 से 4 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा न 41/3 व खसरा न 68/1 भी नक्शे में तरमीमसुदा नहीं हैं एव न ही सभी सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया हैं। कानूनन सभी सहखातेदार आवश्यक पक्षकार थे एवं आवश्यक पक्षकार के अभाव में रेस्पोंडेंटस सख्या 1 से 4 का प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही नही था। खसरा नंबर 41 का पूर्व में अपीलान्ट व रेस्पोंडेंटस के मध्य विवाद चला था, उस विवाद के तहत अपीलान्ट ने खसरा न 41 में से 3 बीघा भूमि खसरा नंबर 68. 71, 73 की माठ के चिपती चिपती रास्ते के उपयोग हेतु पहले से ही दे दी थी। इसलिए अब नये रास्ते न तो रेस्पोंडेंटस को कोई आवश्यकता हैं तथा न ही कानूनन नया रास्ता दिया जा सकता हैं। ग्राम सियांदा के सार्वजनिक सभा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भवन एव सीसी सडक से खसरा न 41 से मिलान करती हैं जो रेस्पोंडेंट्स के आवागमन के लिए वैकल्पिक पुराना रास्ता उपलब्ध हैं, इसलिए वर्तमान में चाहे गये रास्ते की किसी प्रकार से रेस्पोंडेंटस को आवश्यकता नही हैं। रेस्पोंडेंट्स ने अपीलान्ट को तंग परेशान करने के लिए ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त खसरान की भूमि की वास्तविक व समुचित मौका रिपोर्ट राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित करके नहीं मंगवाई गई है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय की मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए थी कि क्या प्रार्थीगण / रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 की भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक विद्यमान है या नहीं है। यदि कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है तो सबसे कम दूरी का रास्ता किन–किन खसरान की भूमि में से उपलब्ध करवाया जा सकता है। इस सम्बंध में मौका रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए थी, किन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण की भूमि से रास्ता स्वीकृत करने हेतु केवल खसरा संख्या 64, 62, 59 ही मौका रिपोर्ट तलब की गई, आस–पास के अन्य खसरान की भूमि की मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई। धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार यदि किसी काश्तकार के खेत में जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो सुविधा की दृष्टि से नवीन रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, किन्तु उक्त प्रकरण में माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 की सुविधा हेतु उक्त रास्ता स्वीकृत किया गया है। इस आधार अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में दोनो अपीलो के अपीलांट्स के अधिवक्तागण ने निवेदन किया किं दोनो अपील स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 मई 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से चार के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम है जो मौके पर चलायगान है। उक्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंट्स के आवागगन हेतु अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट्स द्वारा रास्ता न देने की नियत से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन रास्ते के आदेश की पालना होकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम हो चुकी है तथा मौके पर रास्ता चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का विधिसम्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निस्तारण करते हुए विधिसम्मत रास्ते का आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 13.11.2020 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से चार की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 68 में आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता पाया जाता है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय में मौका रिपोर्ट पर आपत्तियॉ प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 06 मई 2022 के जरिये प्रस्तुत आपत्तियों का विधिसम्मत निस्तारण किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट्स का कथन है कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु खसरा नंबर 41, 68, 71 व 73 की माठ के सहारे–सहारे रास्ता चलता है। अपीलांट्स द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि उक्त रास्ता किस गैर मुमकिन रास्ते से जाकर मिलता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द अनुसार लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनो अपीले खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2020 देवीलाल व अन्य बनाम देवाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 मई 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर